संख्या-99/2017/1506/71-1-2017-जी-200/2013

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 11 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अनुदान संख्या-31 में उपकरण मद में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2013-14/195, दिनॉक 16-06-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय संस्थानों (हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर) हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपकरणों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 1,41,29,90,000/- को आहरित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रखने की अनुमति शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 1,41,29,90,000/- के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण कर लिया गया है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि
1	2914/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 13-11-2014	51,82,27,464.00
2	2/2015/3415/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 05-01-2015	5,81,23,316.00
3	29/2015/05/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 21-02-2015	4,88,85,938.00
4	45/2015/456/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 17-03-2015	11,97,07,400.00
5	137/2015/1520/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 24-08-2015	6,80,16,477.00
6.	191/2015/1435/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 01-12-2015	32,60,63,065.00
7.	54/2016/522/71-1-2016-जी-200/2013, दिनॉक 18-03-2016	11,59,98,891.00
8.	89/2016/794/71-1-2016-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2016	4,48,46,675.00
9	127/2016/1114/71-1-2016-जी-200/2013, दिनॉक 23-05-2016	6,58,09,759.00
10	141/2016/1591/71-1-2016-जी-200/2013, दिनॉक 29-06-2016	17,40,912.00
11	215/2016/3137(1)/71-1-2016-जी-200/2013, दिनॉक 26-12-2016	3,72,75,779.00
	योग-	1,40,46,95,676.00

3- उक्त पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि की उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-37/2017/214/71-1-2017-जी-200/2013, दिनॉक 16-03-2017 द्वारा दिनॉक 30-06-2017 तक विस्तारित की गयी थी, जो दिनॉक 30-06-2017 को समाप्त हो गयी है।

4- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 1,41,29,90,000.00 में से संलग्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार रू0 1,40,46,95,676.00 का आहरण कर लिया गया है एवं उक्त आहरण के उपरान्त रू0 82,94,324.00 की धनराशि अवशेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- आपके उक्त पत्र दिनॉक 16-06-2017 में वर्णित स्थिति के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 82,94,324.00 की उपयोगिता अवधि 03 माह (दिनॉक 01-07-2017 से दिनॉक 30-09-2017) तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि उक्त पी0एल0ए0 में रखी धनराशि की उपयोगिता निर्धारित अवधि तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाए। शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-980/दस-2017, दिनॉक 04 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

संलग्नक--यथोक्त।

भवदीया

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 99/2017/1506 (1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झॉसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
4- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झॉसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, झॉसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
9- नियोजन अनुभाग-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।